न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 01/2018

1. श्री मिठनलाल
2. श्री भंवरलाल

समस्त पुत्रगण श्री श्योजी निवासीगण ग्राम लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री हेमराज पुत्र श्री रामाकिशन दत्तक पुत्र श्रीमति अयोध्या देवी निवासी ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

.....*अप्रार्थीगण*

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शांतिप्रकाश ओझा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

आदेश

दिनांक – 05.07.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 25.04.1965 को ग्राम पंचायत मुख्यालय लसाड़िया में आयोजित कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति अयोध्या देवी बेवा श्री राधाकृष्ण, निवासी ग्राम लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम चकजूनिया के आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की माता के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 की माता श्रीमति अयोध्या देवी बेवा श्री

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

राधाकृष्ण, निवासी ग्राम लसाड़िया तहसील केकड़ी जिला अजमेर के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम एवं रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम चकजूनिया तहसील केकड़ी स्थित साविक खसरा संख्या 14 हाल खसरा संख्या 29 रकबा 1.18 है0 स्थित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता तत्पश्चात सम्वत 2022 से प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उनका आगे कथन है कि श्रीमति अयोध्या देवी बेवा श्री राधाकृष्ण ने स्वयं को ग्राम खेजड़ो का बास, तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की निवासी एवं काश्तकार होना बताकर ग्राम खेजड़ों का बास के खसरा संख्या 137/2 में रकबा 11–07–00 बीघा भूमि का दिनांक 14.12.1956 को उनके पक्ष में आवंटन करवाया गया चूंकि वे ग्राम चकजूनिया, तहसील केकड़ी की निवासी नहीं होकर स्थायी रूप से ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक की निवासी थी। इन्होने पूर्व में किये गये उक्त आवंटन को छिपाते हुए धोखे से गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम चकजूनिया स्थित आराजी खसरा संख्या 14 में 10 बीघा भूमि का आवंटन करवाया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि श्रीमति अयोध्या देवी बेवा श्री राधाकृष्ण ने जरिये मुख्तयारआम श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री हरदेव ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 134/70 स्थायी निषेधाज्ञा बाबत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रार्थीगण के पिता व अन्य परिजनों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.12.1971 को खारिज कर दिया गया। विवादग्रस्त खसरा संख्या 14/3 की भूमि बाबत श्रीमति अयोध्या देवी के मुख्तयारआम द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद वर्ष 1978 में बेदखली की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने रिसीवर नियुक्ति के आदेश पारित किये, तत्पश्चात उक्त आदेश को दिनांक 26.09.1979 को निरस्त कर दिया। उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने प्रशासन शहरों की ओर अभियान में दिनांक 19.10.1983 को विवादित भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के पिता से लेकर श्रीमति अयोध्या देवी के मुख्तयारआम को प्रदान करने के आदेश प्रदान किये। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राज0 में आवेदन करने पर प्र0सं0 36/83 में दिनांक 06.06.1991 को निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के उक्त आदेश को निरस्त किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 14 में 10 बीघा भूमि का श्रीमति अयोध्या देवी को किया गया आवंटन बोगस आवंटन था, जिसकी पालना में राजस्व कर्मचारियों ने भूमि का कब्जा इनको प्रदान नहीं किया और न ही आवंटी ने स्वयं कब्जा लेने की कोई कार्यवाही आवंटन के तुरन्त बाद की। वकील प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आर0बी0जे0 2009 पेज 797, आर0बी0जे0 2013 पेज 621 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर एवं आर0आर0डी0 2002 पेज 1 पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि आवंटी ग्राम चकजूनिया की निवासी नहीं थी, वह टोंक जिले की निवासी थी एवं ग्राम खेजड़ों का बास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में पूर्व में आवंटित भूमि इनकी खातेदारी में दर्ज थी। दिनांक 25.04.1965 को खसरा संख्या 14/3 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन गलत तथ्य प्रकट कर तथ्यों को छिपाते हुए एवं कपपूर्वक आचरण के द्वारा करवाया गया जो कि पूर्णतया नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया जाकर आवंटी श्रीमति अयोध्या देवी बेवा श्री राधाकृष्ण के पक्ष में किया जावे विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन मनगढंत एवं निराधार है। विवादित आराजियात पर वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त होकर गैर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की दत्तक माता श्रीमति अयोध्या देवी को विधवा होने के कारण आजीविका हेतु दिनांक 25.04.1965 को आवंटित की गई थी। उनकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी के नाम विरासत दर्ज की गई एवं अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि श्रीमति अयोध्या देवी बेवा राधाकृष्ण ग्राम लसाड़िया की स्थायी निवासी थी एवं ससुराल इसी गांव में था। पति के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम खेजड़ों का बास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक में पीहर होने से दोनों गांवों में आना जाना रहता था। उन्होने आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान में पारित आदेश दिनांक 19.10.1983 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 की माता के मुख्तयारआम श्री द्वारकाप्रसाद पुत्र श्री हरदेव, निवासी ग्राम लसाड़िया को मौके पर विवादित आराजी का कब्जा संभलाते हुए गांव के मौतबिरान व्यक्तियों के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करवाये गये तत्समय से ही आवंटी काबिज काश्त गैर खातेदार रही एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के पिता व उसके पश्चात वे काबिज काश्त रहे हैं। वर्तमान में आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर काबिज काश्त चला आ रहा है।

वकील अप्रार्थीगण का आगे यह कथन है कि प्रार्थी द्वारा द्वैषता की भावना से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि खसरा संख्या 14 में से 10 बीघा भूमि का भंवरलाल पुत्र जगन्नाथ (भंवरलाल पुत्र श्योजी) द्वारा दिनांक 25.04.1965 को कपटपूर्वक झूठा आवंटन करवा लिया था जिसे अप्रार्थी संख्या 1 की माता अयोध्या देवी के मुख्तयारआम द्वारका प्रसाद द्वारा अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में चुनौती देने पर आदेश दिनांक 22.02.1985 से आवंटन खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में होने पर दिनाक 25.01.1997 को अपील खारिज कर दी गई। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के आदेश के विरूद्ध मान0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसे आदेश दिनांक 04.03.2011 से खारिज कर दिया गया। विवादित आराजी खसरा संख्या 14/3 के वर्तमान खसरा संख्या 29 रकबा 1.18 है0 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम श्रीमति अयोध्या देवी का दत्तक पुत्र होने के आधार पर जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 21 अंकित की गई है जिसे निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अपर कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की गई जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। तत्पश्चात प्रार्थी व उसके भाईयों द्वारा विवादित आराजी बाबत एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष सन् 2014 में अप्रार्थी के विरूद्ध पेश किया जिसको उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने निर्णय दिनांक 29.12.2016 से खारिज कर दिया। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजी बाबत प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है जबकि भूमि आवंटन हुए लगभग 53 वर्ष से अधिक समय हो

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

...है। वकील अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में हमारा ध्यान आर0आर0डी0 ...2001 पेज 467, आर0आर0टी0 2009 पेज 453, आर0आर0टी0 2011(2) पेज 1205, ...डी0एन0जे0 1999 पेज 509, आर0आर0डी0 1996 पेज 501 एवं आर0आर0डी0 1997 पेज 195 पर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी का पुश्तैनी समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 की माता श्रीमति अयोध्या देवी को ग्राम खेजड़ों का बास, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक के खसरा संख्या 137/2 रकबा 11–07–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसे वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है, किन्तु आवंटी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष इन तथ्यों को छिपा कर कपटपूर्वक खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन करवाया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 की माता श्रीमति अयोध्या देवी के पक्ष में दिनांक 25.04.1965 को किया गया खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा का आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(आनन्दीलाल वैष्णव)
अपर कलक्टर,
अजमेर